न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

(पिठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 69/2019
दायर दिनांक – 01/08/2019
निर्णय दिनांक – 29/11/2019

अनवान

1. तेजाजी बावजी स्थान मदारा (देवस्थान) जरिये पूजारी शंकरलाल पिता रामाजी जाट निवासी मदारा
2. कन्हैया लाल पिता लेहरू जाट निवासी अमलोई तहसील व जिला राजसमंद
3. माधुलाल पिता लेहरूलाल जाट निवासी अमलोई तहसील व जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. नानालाल पिता मोहनलाल कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. बालुराम पिता मोहनलाल कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
3. मदनलाल पिता मोहनलाल कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
4. प्रेमबाई पिता मोहनलाल कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम मदारा में आराजी चाह संख्या 34 क्षैत्रफल 0.0500 अर्थात 05 बिस्वा भुमि स्थित है। जिसके खातेदार श्री तेजाजी बावजी एवं अन्य प्रार्थीगण हैं। तेजाजी बावजी अवयस्क मूर्ति है जिससे उनकी सेवा चाकरी, पूजा करने वाला पूजारी शंकरलाल के जरिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 34 के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 35 क्षैत्रफल 2 बीघा 6 बिस्वा स्थित है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजी के मध्य किसी प्रकार का स्थाई सीमाकंन चिन्ह नहीं है। विपक्षीगण ने एक माह पूर्व प्रार्थीगण की आराजी में पत्थर के खम्भे लगाकर लोहे की जाली लगा दी एवं धीरे धीरे करके प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजी में अतिक्रमण करने को उद्धत रहते है। प्रार्थीगण की आराजी सं. 34 व आराजी संख्या 35 के मध्य स्थाई सीमाकंन चिन्ह न होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य सीमाकंन चिन्ह को लेकर विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण के

लिये सीमा के विवाद को मिटाने के लिये प्रार्थीगण ने दिनांक 10.06.2019 को स्थाई सीमाकंन चिन्ह के रूप में पत्थरगढी कराने के लिये कहा गया तो विपक्षीगण ने मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण संख्या 02, 03, 04 ग्राम अमलोई मे निवास करते है एवं उक्त आराजी संख्या 34 पर तेजाजी बावजी का स्थान बना हुआ है एवं उक्त आराजी चाह मौके पर चाह के रूप में स्थित न होकर केवल मात्र समतल भुमि के रूप में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण तेजा दशमी एवं अन्य पर्व पर भजन, गीत, कीर्तन आदि करते है एवं प्रसाद बनाया जाता है। तेजाजी का भोग लगाया जाता है एवं उक्त परिसर में भजन, किर्तन के रूप में उपयोग में उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा आराजी संख्या 34 अन्य रूप मं उपयोग में नहीं ली जा रही है। विपक्षीगण का खेत पास में स्थित होने के कारण प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अतिक्रमण करने की कुचेष्टा करते रहते एवं खम्भे को खोदकर जालजी को आगे बढाते रहते है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 34 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 35 के मध्य स्थाई सीमाकंन के रूप में पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षीगण की ओर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब निम्न आधारो पर प्रस्तुत है प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 का विवरण में जिस रूप से वर्णित किया गया है गलत होकर अस्वीकार है। ग्राम मदारा तहसील क्षैत्र रेलमगरा मे आराजी चाह संख्या 34 स्थित होना स्वीकार है। तथा शेष विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। चुंकि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 34 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 35 क्षैत्रफल 02 बिघा 06 बिस्वा स्थित है के मध्य सीमाकंन के रूप में लोहे की जाली व पत्थर के खम्भे शुदा बाड जो कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी स्वयं की आराजी मे निर्मित कराई गई जो कि 02 वर्ष पूर्व निर्मित कराई गई थी जो प्रार्थी की समुचित जानकारी में है अतः प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण द्वारा एक माह पूर्व प्रार्थीगण की आराजी में पत्थर के खम्भे लगाकर लोहे की जाली लगा दी एवं धीरे धीरे करके प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजी में अतिक्रमण करने को उद्यत रहते है सर्वथा मिथ्या एवं मनगढत है प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। चुंकि आराजी संख्या 34 व आराजी संख्या 35 के मध्य लोहे की जाली व खम्भेशुदा बाड स्थित है जो कि अप्रार्थीगण द्वारा दो वर्ष पूर्व अपनी ही आराजी में बनवाई गई है जो विवाद रहीत है तथा प्रार्थीगण का यह कथन कि सीमा विवाद मिटाने के लिए प्रार्थीगण ने दिनांक 10.06.2019 को स्थाई सीमाकंन चिन्ह के रूप में पत्थरगढी करने के लिए कहां गया तो मानने

से इंकार कर दिया सर्वथा मिथ्या एवं मनगढत है चुंकि अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 जुन माह मे ग्राम मदारा मे निवासरत नहीं थे तथा न ही मोबाईल पर ही उन्हें उक्त सीमाकंन चिन्ह बाबत कोई तकाजा दिया गया तथा न ही अप्रार्थी संख्या 02 व 04 को कोई सीमाकंन चिन्ह बाबत तकाजा दिया गया जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई हेतुक उत्पन्न नहीं होता है प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है चूंकि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.06.2019 को अप्रार्थीगण को सीमाकंन चिन्ह बाबत कोई तकाजा नहीं दिया गया इसलिये प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई हेतुक उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण का यह कथन कि प्रार्थीगण सख्या 02,03,04 ग्राम अमलोई में निवास करते है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। तथा प्रार्थी संख्या 04 कौन है यह सम्पुर्ण प्रार्थना में प्रार्थीगण द्वारा कहीं अंकित नहीं किया गया है। आराजी संख्या 34 पर तेजाजी का स्थान बना होना एवं उक्त आराजी चाह मौके पर चाह के रूप में स्थित न होकर केवल मात्र समतल प्रार्थना में प्रार्थीगण द्वारा कहीं अंकित नहीं किया गया है। आराजी संख्या 34 पर तेजाजी का स्थान बना होना एवं उक्त आराजी चाह मौके पर चाह के रूप में स्थित न होकर केवल मात्र समतल भूमि के रूप होना स्वीकार है तथा आराजी संख्या 34 पर प्रार्थीगण द्वारा भजन, किर्तन, प्रसाद बनाना आदि कार्य जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है तथा प्रार्थीगण का यह कथन कि विपक्षीगण का खेत पास में स्थित होने के कारण प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अतिक्रमण करने की कुचेष्टा करते रहते है एवं खम्भे को खोदकर जाली आगे बढाते रहते है सर्वथा मिथ्या एवं मनगढत वर्णित किया गया है चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा अतिक्रमण का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा लोहे की जाली मय पत्थर के खम्भेशुदा बाड 02 वर्ष पूर्व निर्मित कराई गई थी जिससे प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड में आधिपत्य प्राप्त करना चाहते जो कि प्रार्थीगण को नहीं दिलाया जा सकता है। चूंकि धारा 111 भु राजस्व अधिनियम के तहत यदि प्रार्थी दो माह के भीतर कब्जे से बेदखल किया गया हो तो ही उसे कब्जा दिलाया जा सकता है। परन्तु उक्त मामले में बाड का निर्माण अप्रार्थीगण द्वारा दो वर्ष पूर्व ही करवा दिया गया था जो कि प्रार्थीगण की जानकारी में है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर सव्यय निरस्त फरमावें। विकल्प में निवेदन है कि यदि न्यायालय उचित समझे तो अप्रार्थीगण का आधिपत्य (कब्जा) डिस्टर्ब किए बिना ही पत्थरगढी का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी दोराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्य पढकर सुनाये मौके पर कोई सीमाकंन चिन्ह नहीं होने से पत्थर गढी करवायी जावे इसके खण्डन में अधिवक्ता विपक्षी ने दोराने बहस ने बताया की भुमि समतल है कोई हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ तथा यह सम्भव नहीं की मौके पर सीमांन चिन्ह न हो जबकी मौके पर पत्थर रोप कर तार बंदी कर रखी है। फिर भी पत्थरगढी की जाती है तो विपक्षी को मौके से बेदखल न किया जावे जिस पर अधिवक्ता ने बताया की पत्थरगढी न करने का कोई कारण नहीं है। तथा विपक्षी को मौके से बेदखल नहीं कर जहा सीमाकंन आवे वहा पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है। परन्तु प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भुमि के सम्बंध में पुर्व में किसी प्रकार से सीमाज्ञान नहीं कराया गया तथा न ही भुमिधारक (तहसीलदार) रेलमगरा को भी आवश्यक पक्षकार बनाया जाना था जो नही बनाया ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना सीमाज्ञान कराये एवं तहसीलदार को पक्षकार नही बनाये जाने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा